न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 08 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 02.02.2024

मुकेश पुत्र फूलचन्द बजाज निवासी बजाज सदन नोशे मियां का पूल टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

–अपीलांट

बनाम

तहसीलदार टोंक राज0

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 04.01.2024 मिसल नम्बर 605 / 2023

उपस्थिति : (1) श्री ओम प्रकाश राजौरा,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीणा,नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 16.07.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 04.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2278 / 1 रकबा 1.0116 है0 किस्म बजंड–2 वाके ग्राम मेहन्दवास तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर गेहूँ / सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 340 / रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का के बयान भी लेखबद्व नही किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन कर दिया था कि अपीलांट द्वारा मौके से उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। अपीलांट का पश्चातवर्ती कब्जा साबित नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही निर्णय के द्वारा अपीलांट को तीन सजाये क्रमशः बेदखल करने,पेनल्टी आरोपित करने व सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। कानूनन इस प्रकार का निर्णय सही नही है अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2278/1 रकबा 1.0116 है0 किस्म बजंड–2 वाके ग्राम मेहन्दवास तहसील टोक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर गेहूँ/सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से सुवा की तामील हुई है। अपीलान्ट स्वंय न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2278/1 रकबा 1.0116 है0 किस्म बजंड–2 वाके ग्राम मेहन्दवास तहसील टोंक पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर गेहूँ/सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 487/2022 निर्णय दिनांक 21.12.2022 से भूमि से बेदखल किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन कर दिया था कि अपीलांट द्वारा मौके से उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। अपीलांट का पश्चातवर्ती कब्जा साबित नही है। इस सबंध मे तहसीलदार टोंक से मौका रिपोर्ट तलब किये जाने पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक 1803 दिनांक 14.06.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कि है कि पटवारी हल्का मेहन्दवास द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2278/1 का मौका निरीक्षण किया,मौके पर आराजी खसरा नम्बर 2278/1 के लगभग 0.40 है0 रकबे मे उत्तरी व पश्चिमी दिशा की तरफ मुकेश (अपीलांट) ने कब्जा बाड कर रखी है। कब्जा बाड शुद्वा रकबा 0.40 है0 है। अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली के साथ (प्रमाणित प्रति)संलग्न पत्रावली संख्या 487 उनवान मुकेश बनाम नायब तहसीलदार टोंक मे न्यायालय नायब तहसीलदार टोक द्वारा अपीलांट को अपने निर्णय दिनांक 21.12.2022 से उक्त भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित करने पर निर्णय की पालना मे पटवारी हल्का मेहन्दवास व भू–अभिलेख निरीक्षक मेहन्दवास ने अपीलांट को मौके से मोतवीरान के सामने बेदखल कर फसल निलाम की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 04.01.2024 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक